227वें सत्र से संबंधित समापन भाषण

माननीय सदस्यगण,

आज राज्य सभा का 227वां सत्र, जोकि 22 नवम्बर, 2012 को आरंभ हुआ था, समाप्त हो रहा है।

सभा ने भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री इन्द्र कुमार गुजराल सहित 11 अन्य भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर संवेदना व्यक्त की। सभा ने प्राकृतिक आपदाओं और त्रासदीपूर्ण घटनाओं के पीड़ितों के संबंध में उल्लेख भी किए।

प्रधानमंत्री द्वारा सभा में 21 मंत्रियों का परिचय कराया गया। राज्य सभा के नए महासचिव का भी सभा से परिचय कराया गया।

सभा की 20 बैठकों के दौरान 47 से अधिक घंटे नष्ट हो गए और प्रश्न काल मात्र 8 दिन ही चलाया जा सका। पांच अल्पकालिक सूचना प्रश्न भी लिए गए। सभा ने दो संविधान संशोधन विधेयक पारित किए। पहला विधेयक सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए था और दूसरा, कर्णाटक राज्य के पूववर्ती हैदराबाद-कर्णाटक क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए था। सभा ने मल्टी ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्ताव पर चर्चा की। 2 सरकारी विधेयक पुरःस्थापित किए गए और 8 सरकारी विधेयक पारित किए गए और लौटाये गये। 35 गैर सरकारी विधेयक पुरःस्थापित किए गए। गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों के माध्यम से चुनाव और अन्य संबंधित कानूनों और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा भारतीय ओलंपिक संघ को निलंबित किए जाने के कारण उत्पन्न स्थिति के संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पर चर्चा की गई। 108 विशेष उल्लेख किए गए और सभापीठ की अनुमति से 30 महत्वपूर्ण मामले उठाए गए।

मैं इस अवसर पर सभा के नेता, विपक्ष के नेता, विभिन्न दलों और समूहों के नेताओं तथा माननीय सदस्यों द्वारा सभा के सम्रग कार्यकरण में उनके द्वारा किए गए सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। मैंने महासचिव से इस सत्र से संबंधित आंकड़ों की सूचना उपलब्ध कराने के लिए कहा है।

मैं उपसभापति, उपसभाध्यक्षों के पैनल में शामिल सदस्यों तथा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा दी गई सहायता और सहयोग के लिए उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ।